85

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 941—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—06—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 469/निगरानी/2007—08.

.....

1—प्रेमवती बेवा शत्रुघन सिंह तिवारी
2—आनन्द कुमार पिता स्व0 शत्रुधन तिवारी
3—राणा सिंह पिता स्व0 शत्रुधन तिवारी
निवासीगण पुरवा तहसील गुढ जिला
रीवा म0 प्र0
4—शकुन्तला पुत्री स्व0 शत्रुधंन तिवारी
निवासी ग्राम मानपुर तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा म0 प्र0
5—राधा पत्नि रामउजागर दुबे
निवासी ग्राम मानपुर तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा म0 प्र0
6—गीता पुत्री स्व0 शत्रुधन तिवारी
निवासी ग्राम पुरवा तहसील गुढ जिला
रीवा म0 प्र0
7—सुनीता 8— सीमा 9—आसिमा
पुत्रीगण स्व0 शत्रुधन तिवारी
निवासीगण ग्राम पुरवा तहसील गुढ जिला
रीवा म0 प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—देववती बेवा मनबोध सिंहतिवारी (मृतक)
वारिसानः—
अ—योगेन्द्र सिंह तिवारी पिता स्व0 शत्रुधन तिवारी
ब—वृजेन्द्र सिंह तिवारी पिता स्व0 शत्रुधन तिवारी
निवासीगण ग्राम पुरवा तहसील गुढ जिला
रीवा म0 प्र0
2—मानेन्द्र सिंह तिवारी (मृतक)
वारिसान :—
अ—महिपाल सिंह तिवारी

ब–अजय सिंह तिवारी
स–सतेन्द्र सिंह तिवारी
निवासीगण ग्राम पुरवा तहसील गुढ जिला
रीवा म0 प्र0

–––अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-06-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 15–6–2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका देववती द्वारा तहसीलदार गुढ़ के न्सयायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके नाम पर हिस्सानुसार खाता विभाजन की कार्यवाही म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अनुसार कर दी जावे। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण को तलब किया, उनके द्वारा यह आपत्ति की गई कि आवेदकगण व अनावेदकगण के मध्य आपसी बंटनवारीा हो चुका है एवं उसी के अनुसार कब्जा दखल हैं । अतः तहसीलदार को पुनः विभाजन करने का कोइ औचित्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा सुनवाई कर दिनांक दिनांक 15.2.08 को पटवारी को फर्द विभाजन पुल्ली प्रस्तुतज करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके विरूद्व आवेदिका प्रेमवती आदि द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 28.02.08 से अग्राह्य की गई, इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी

प्रस्तुत की जो दिनांक 15.6.09 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में बटवारा हो चुका है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत प्रकरण ग्राह्य कर पुनः पटवारी हल्का द्वारा फर्द बटवारा का आदेश देना विधि की मंशा के विपरीत है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदिका देववती द्वारा तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विभाजन इस प्रकार किया जाय कि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़े न हों। किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित करना कि केवल मौखिक विभाजन आपसी बटवारा के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टि संबंधी आदेश देने की अधिकारिता नहीं है विधि की मंशा के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदिका देववती को ग्राम पुरवा की आराजियातों के एवज में ग्राम फरहदा की भूमियां व ग्राम पुरवा की समस्त भूमियां शत्रुघन सिंह तिवारी को हिस्सावांट में मिली शत्रुघन के वारिसानों के मध्य आपसी व्यवस्था एवं वसीयत के अनुसार ग्राम पुरवा की भूमियां आवेदक कमांक 2, 3 को मिली निका नामांतरण भी आवेदक कमांक 2, 3 के नाम राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि प्रकिया के तहत उचित हैं, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार के न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 24.12.07 से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण उपस्थित थे लेकिन उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.2.08 फर्द विभाजन के संबंध में आदेश दिया गया है, बटवारा नियामें के अंतर्गत पटवारी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा पुल्ली के आधार पर उभयपक्षों की सुनवाई करने के उपरांत ही बंटवारा संबंधी आदेश पारित किया जाता है। फर्द बटवारा हेतु पटवारी से प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया है, इससे उनके आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा भी तहसीलदार का आदेश विधि प्रकिया के तहत होने से सही माना है। अपर कलेक्टर का आदेश उचित होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 15.6.09 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 469/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 15.06.09 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर